



2026:AHC: 29219-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 734/2025

अखिलेश चंद्र सिंह

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकाय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

1- अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और विचारण न्यायालय के निर्णय का परिशीलन भी किया गया।

2- वर्तमान अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 22, प्रयागराज द्वारा सत्र विचारण संख्या - 248 वर्ष 2013 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सौरभ यादव व अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.09.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या - 17 वर्ष 2009, धारा 364 भा.द.सं., थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 4 को दोषमुक्त कर दिया गया है।

3- मुकदमा अपराध संख्या - 17 वर्ष 2009, धारा 364 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.01.2009 को सूचनादाता की पहल पर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सूचनादाता का पुत्र अंकित सिंह, सौरभ यादव, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 के घर गया था और वापस नहीं लौटा। एफ.आई.आर. में कहा गया है कि अंकित सिंह बी.टेक प्रथम वर्ष का छात्र था और सूचनादाता को अपने पुत्र का फोन आया था, जिसमें उसने बताया था कि वह अपने मित्र के साथ रुक रहा है और अगले दिन, अर्थात् 08.01.2009 को वापस आ जाएगा। हालांकि, सूचनादाता का पुत्र 08.01.2009 की शाम तक वापस नहीं लौटा। सूचनादाता को विपक्षी संख्या 2 का भी 08.01.2009 को शाम 5:55 बजे फोन आया, जिसमें बताया गया कि अंकित सिंह सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संगम एक्सप्रेस में सवार हुआ था और यह आशंका व्यक्त की गई कि अंकित सिंह स्वयं को कुछ नुकसान पहुँचा सकता है। उपरोक्त घटनाओं ने सूचनादाता को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया, इस आशंका में कि विपक्षी गण द्वारा अंकित सिंह का अपहरण किया गया हो सकता है।

4- तत्पश्चात रेलवे ट्रैक के पास एक शव मिला और रेलवे ट्रैक तथा शव के पास अभिकथित तौर पर मिले फटे कपड़ों की पहचान सूचनादाता ने उन कपड़ों के रूप में किया, जो मृतक ने घर से निकलते समय पहने थे। विवेचना अधिकारी द्वारा अंकित सिंह की एक तस्वीर भी सूचनादाता को दिखाई गई थी, यह दावा करते हुए कि तस्वीर रेलवे ट्रैक के पास मिले शव की थी और सूचनादाता ने इसकी पहचान पुत्र अंकित सिंह की तस्वीर के रूप में किया था। हालांकि, विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि स्वयं शव की पहचान सूचनादाता द्वारा नहीं किया जा सका था।

5- उपरोक्त तथ्य और इस तथ्य पर गौर करते हुए कि 08.01.2009 को शाम 6:00 बजे के बाद संगम एक्सप्रेस में अंकित सिंह की उपस्थिति पी.डब्ल्यू.-10 के साक्ष्य द्वारा सिद्ध हुआ था और इस तथ्य पर संज्ञान लेने के बाद कि जिस शव को अभियोजन द्वारा अंकित सिंह का शव होने का दावा किया गया था, उसकी पहचान उस डॉक्टर द्वारा 35 वर्षीय व्यक्ति के रूप में किया गया था, जिसने शव का पोस्टमार्टम किया था। जबकि अंकित सिंह बी.टेक प्रथम वर्ष का छात्र था और उसकी आयु लगभग 19-20 वर्ष थी, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंकित सिंह का अपहरण और हत्या तथा अंकित सिंह की हत्या में विपक्षी गण की संलिप्तता अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका। अपराध के लिए विपक्षी गण पर कोई उद्देश्य आरोपित नहीं किया जा सका। यह तथ्य कि अंकित सिंह ने 08.01.2009 को विपक्षी गण का साथ छोड़ दिया था, स्वयं अभियोजन साक्ष्य से भी प्रत्यक्ष है। अंकित सिंह की हत्या भी सिद्ध नहीं हुआ है।

6- उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई त्रुटि, अवैधता या कोई विकृति नहीं मिली है, जिससे अपील में साक्ष्यों का पुनः परीक्षण किया जाए। विचारण न्यायालय की यह राय कि अभियोजन अपना वाद उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, वाद के साक्ष्यों पर विचार करते हुए, एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है।

7- अपील में गुण-दोष का अभाव है और तदनुसार इसे संक्षेप में **खारिज** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- इस न्यायालय के निर्णय को विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद, पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

10 फरवरी, 2026

मोनिका

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)